

पत्रांक-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०....
 बिहार सरकार
 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
 श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
 सुपौल।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	सुपौल	BIH_SUPAU_2024_109908	मो० साहिल	18.05.2024	177/24
2		BIH_SUPAU_2024_110074	मो० समीर	18.06.2024	202/24
3		BIH_SUPAU_2024_110081	अमित कुमार	20.06.2024	244/24
4		BIH_SUPAU_2024_110171	राजकुमार राम उर्फ राज कुमार	19.07.2024	241/24
5		BIH_SUPAU_2024_110450	कलाम साफी उर्फ मो० कलाम आलम	05.09.2024	286/24
6		BIH_SUPAU_2024_110451	मो० अफरोज	06.09.2024	319/24
7		BIH_SUPAU_2024_110683	जय कुमार साह	11.11.2024	66/24
8		BIH_SUPAU_2025_110852	राहुल कुमार	04.01.2025	11/25
9		BIH_SUPAU_2025_111059	मो० इस्तखार उर्फ मो० इफ्तखार आलम	19.03.2025	145/25
10		BIH_SUPAU_2025_111256	नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार शर्मा	11.04.2025	120/25
11		BIH_SUPAU_2025_111265	मो० आशिक	05.05.2025	169/25
12		BIH_SUPAU_2025_111775	मो० दिलशाद	11.08.2025	270/25
13		BIH_SUPAU_2025_111777	मो० सुफियान अंसारी	15.09.2025	476/25
14		BIH_SUPAU_2025_111778	मो० इसताक	25.11.2025	231/25

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण।
सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	364550 04749	SBIN00 00190	14	14@25000	3,50,000/-	पत्रांक-50 दिनांक-16.01.2026,
कुल				14	14@25000	3,50,000 /- (तीन लाख पचास हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....428

पटना, दिनांक- 22/01/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार